

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2

प्रपत्र संख्या 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया— शाखा औरैया।

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

श्री ग्रीस कुमार वैश्य, जनपद न्यायाधीश, औरैया
जनपद न्यायालय औरैया।

2. पता

जनपद न्यायालय औरैया।

3. पंजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है। तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

राजकीय वाहन इगोवा वाहन सं०— यू0पी0 79 जी 0257 से माह दिसम्बर 2023 में चली कुल 2692 किमी० में अवशेष 482 किमी० में 200 किमी० का लाग लेते हुए शेष 282 किमी० का भुगतान रु 3.00 प्रति किमी० की दर से कुल धनराशि 846/- जमा करने हेतु

5. चालान की समस्त राशि

6. चालान की निश्चित राशि

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण वितरण/लेखा शीर्षक की मुहर

0070-60-800-05

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

0070-60-800-05

मुख्य लेखा शीर्षक

उप मुख्य लेखा शीर्षक

लघु शीर्षक

उप शीर्षक

व्योरेवार शीर्षक

धनराशि अंको में

0 0 7 0

6 0

8 0 0

0 5

Rs. 846/-

-

Rs. 846/-

धनराशि शब्दों में—रुपये आठ सौ छियालिस मात्र

योग—

Rs. 846/-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

8
District Judge
AURAYYA
03/01/24

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या अंको में

दिनांक शब्दों में रु०

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

05/02/24
Ary

प्राप्त किया
उपकोषागार/बैंक की मुहर
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
नकद जमा नकद भुगतान
03 JAN 2024
प्रदीप कुमार
PF-5640598